

राजसव लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: ब्यायाटालय सहायक क्लर्क (एच.डी.ओ.), लाहौर :-
बड़लवास श्रीमती प्रतिष्ठा मिलानिया आर.एस

राजसव वाद संख्या 64/2014

वादीगण

- 1 हनुमानराम पुत्र मंगलाराम
- 2 शंकराराम पुत्र मंगलाराम
- 3 हरिनाराम पुत्र मंगलाराम
- 4 गोविंदराम पुत्र मंगलाराम
- 5 पताराम पुत्र मंगलाराम
- 6 रामराम पुत्र मंगलाराम
- 7 मंगाराम पुत्र मंगलाराम
- 8 पूनाराम पुत्र मंगलाराम जातिग्राम नायक, निवासीगण गडिलासर, तहसील व जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण


- 1 पूनाराम पुत्र बनाराम
- 2 मंगाराम पुत्र बनाराम
- 3 सिकंदरी पति स्व. मोहनराम
- 4 मोडाराम पुत्र मोहनराम
- 5 निशाराम पुत्र मोहनराम
- 6 सिंगाराम पुत्र मोहनराम
- 7 दत्ताराम पुत्र आसाराम
- 8 मोटाराम पुत्र आसाराम
- 9 कुम्हाराम पुत्र आसाराम जातिग्राम नायक, निवासीगण गडिलासर, तहसील व जिला नागौर।
- 10 जीवणराम पुत्र जीगाराम जाति नायक निवासी गडिलासर
- 11 केशराम पुत्र दुधाराम जाति नायक निवासी गडिलासर, तहसील व जिला नागौर
- 12 राजस्थान सरकार जस्टिस, तहसीलदार, नागौर।

वाद वास्ते विभाजन, घोषणा खातेदारी व रथाई निषेधाज्ञा
वाद फर अधीन धरा 53,88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 16.06.2016

1. वादीगण की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इशतुआ की कि -
यह है कि वादीगण श्री रज. चेतनराम दत्त पदमाराम के परोस उत्तराधिकारीगण है।
2. यह है कि वादीगण के दादा स्व. चेतनराम दत्त पदमाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के पूर्वज आसाराम दत्त, रघुाराम के संयुक्त खातेदारी की मूनि, हाल खतरा नम्बर 192 रकबा 134 बीघा 16 बिसवा बाके सरहद मौजा गडिलासर तहसील नागौर स्थित रहती चली आई है जिसमें 1/2 हिस्सा स्व. चेतनरामजी का व 1/2 हिस्सा स्व.आसाराम जी का था व उनके स्वर्गवास के पश्चात् स्व. चेतनराम जी के 1/2 हिस्से पर वादीगण व आभारामजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 काबिल रहकर कार्र करसण करते आ रहे है, वर्तमान खातानी व पुराने राजसव रेकर्ड की नकले साख पैषा है जिससे जक्त मूमि वादीगण की पुष्टती होना साबित है व इस अनुच्छेद में इन तथ्यों की पुष्टि राजसव रेकर्ड व मौके की स्थिती से होती है। यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के मध्य उक्त मूमि का आपसी सहमति व सुविधा से भौतिक विभाजन हो रखा है व कदीम से 1/2 - 1/2 हिस्से पर अलग अलग काबिल है व सातिपूर्क कब्जा काहर करते आ रहे है, प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने व इनके भाईयो ने अपने बंट में से कुछ मूमि बेचान की है इसलिए वे भी-इस मूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के सहयातेदार व सहकारकाकार होन से उन्हें भी प्रतिवादी पदाकर बनाया गया है। चूंकि सम्पूर्ण खेत का पूर्ण तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के कब्जे काशा खातेदारी का है व पश्किनी 1/2 हिस्सा वादीगण के बंट कब्जा कार्र खातेदारी का है।
3. यह है कि वादीगण ने अपने उक्त 1/2 पश्किनी हिस्सा रकबा 67.08 बीघा का आपसी सहमति से विभाजन कर दिया है वादीगण की माता करार जति मंगलराम की मृत्यु दिनांक 21.9.2011 को हो चुकी है उनके दोपे वैशिक उत्तराधिकारी वादीगण ही है अब कोई उत्तराधिकारे नहीं है इसलिए वादीगण संख्य 1 से 8 उक्त मूमि पर काबिल है। इसलिए वादीगण संख्या 1 से 8 प्रत्येक ने अपने 1/8-1/8 हिस्से अनुसार है -
वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जस्टिस सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4,7,8,9 की तरफ से दिनांक 30.12.2014 को इफ्तवली जवाब दाबा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की तरफ से दिनांक 06.11.2015 को इफ्तवली जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 11


राजसव क्लर्क
(एस.डी.ओ.) नागौर

पेज संख्या 2

जीवधारण की तरफ से जवाब दावा मध्य काउण्टर बलेम प्रस्तुत किया। जो शान्ति पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,7,8,9 को तरफ से दिनांक 30.12.2014 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो बाद तर्फीक शान्ति पत्रावली किया गया। पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' अटल सेवा केन्द्र गंठीलासर में प्रस्तुत हुई। उक्त विषय में प्रतिवादी संख्या 11 जीवधारण विरुद्धी तरफ से जवाब दावा मध्य काउण्टर बलेम प्रस्तुत हुआ है। जीवधारण ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करने की सहमति के हस्ताक्षर किये है। पत्रावली को गजमे आम में सुना गया। पक्षकारण ने नाकिक राजीनामा दिनांक 30.12.2014 के डिक्री किये जाने की अपनी सहमति प्रदान की। वादी दलील ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 3 सोनी की मृत्यु हो चुकी एवं सोनी के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रेकॉर्ड पर मौजूद है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 सोनी का नाम वाद से हटाया जाता है।

अतः राजीनामा दिनांक 30.12.2014 के अनुसार वादी का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है। खेत खस्ता नम्बर 192 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा मौजा गंठीलासर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी वादीगण का व 1/2 पूर्वी तरफ का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के निम्न प्रकार से बंट किये जाते है।

- i यह है कि, वादी हड़मानगरम के बंट में दक्षिणी तरफ का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा पूर्व पश्चिम लम्बाई में धोषित किया जाता है।
- ii यह है कि, वादी शंकरराम के बंट में हड़मानगरम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।
- iii यह है कि, वादी गोमदशरम के बंट में शंकरराम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा पूर्व पश्चिम में लम्बाई में घोषित किया जाता है।
- iv यह है कि, वादी हरशराम के बंट में गोमदशरम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।
- v यह है कि, वादी फनाशरम के बंट में हरशराम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।
- vi यह है कि, वादी नगराम के बंट में पूनाशरम के विपता ही पूर्वी तरफ का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा उत्तर-दक्षिण लम्बाई चौड़ाई में घोषित किया जाता है।
- vii यह है कि, वादी पूनाशरम के बंट में नगराम के बीच का 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा उत्तर-दक्षिण लम्बाई चौड़ाई में घोषित किया जाता है।
- viii यह है कि, वादी रामशरम के बंट में उत्तरी पश्चिमी कोने में 1/8 हिस्सा रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा उत्तर-दक्षिण लम्बाई चौड़ाई में घोषित किया जाता है।
- ix यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के बंट में खरारा नम्बर 192 रकबा 134 बीघा 16 बिस्वा मौजा गंठीलासर ने 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण खेत के पूर्व तरफ का घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार डिक्री पत्र जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल कराने के लिये उक्त तहसीलदार नगीर को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 16.06.2016 को मजने आन में मंगर द्वारा लिखपाया जाकर मुले न्यायालय में सुनाया गया।

साहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) नगीर
साहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) नगीर

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

- : क्याराटाय सहायक कलक्टर (एच.डी.ओ.), लाहौर :-

बड़ेजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 64/2014

वादीगण

- 1 हडमानराम पुत्र मंगलाराम
- 2 शंकरराम पुत्र मंगलाराम
- 3 हीरराम पुत्र मंगलाराम
- 4 गोमदराम पुत्र मंगलाराम
- 5 पन्नाराम पुत्र मंगलाराम
- 6 रामराम पुत्र मंगलाराम
- 7 मंगाराम पुत्र मंगलाराम
- 8 पूनाराम पुत्र मंगलाराम जातियान नायक,

निवासीगण गढिलासर, तहसील व जिला नागौर।

बनाम

- 1 पूनाराम पुत्र बनाराम
- 2 मंगाराम पुत्र बनाराम
- 3 शिकली पति स्व मोहनराम
- 4 मोडाराम पुत्र मोहनराम
- 5 निसाराम पुत्र मोहनराम
- 6 सिथाराम पुत्र मोहनराम
- 7 चन्द्राराम पुत्र आसाराम
- 8 गोदराम पुत्र आसाराम
- 9 कुंगाराम पुत्र आसाराम जातियान नायक,

निवासीगण गढिलासर, तहसील व जिला नागौर।

10 जीवगराम पुत्र जोगाराम जाति नायक निवासी गढिलासर

11 केहराम पुत्र बुधाराम जाति नायक निवासी, गढिलासर तहसील व जिला नागौर

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

दावा राजस्व मुकदमा 64/2014 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्तु शेफिराल कर्तई रुबरु

मिनजानिब मुददई व

व हालरी

मिनजानिब मुददाथलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व खिगरी दी जाती है यह है कि, वादी हडमानराम के बंट में दक्षिणी तरफ का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 8 बिसवा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी शकरराम के बंट में हडमानराम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 8 बिसवा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी गोमदराम के बंट में शकरराम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 8 बिसवा पूर्व पश्चिम में लम्बाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी हीरराम के बंट में गोमदराम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 8 बिसवा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी पन्नाराम के बंट में हीरराम के विपता ही उत्तरी तरफ का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 9 बिसवा पूर्व पश्चिम लम्बाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी मंगाराम के बंट में पूनाराम के विपता ही पूर्वी तरफ का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 9 बिसवा उत्तर-दक्षिण लम्बाई चौड़ाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी पूनाराम के बंट में मंगाराम व रामराम के बीच का 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 9 बिसवा उत्तर-दक्षिण लम्बाई चौड़ाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, वादी रामराम के बंट में उत्तरी पश्चिमी कोने में 1/8 हिस्सा एकबा 8 बीघा 9 बिसवा उत्तर-दक्षिण लम्बाई चौड़ाई में घोषित किया जाता है।

यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के बंट में खररा नम्बर 192 एकबा 134 बीघा 16 बिसवा गौजा गढिलासर में 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण क्षेत्र के पूर्व तरफ क घोषित किया जाता है।


लीज.....

मुबलिक.....

.....वाबत..... खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर.....

फरि सदी सालाना आज की तारीख बरसूयाबी तक..... को अदा करे। बसीकत तरे

दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... 16..... माह..... 06..... सन् 2016.....


सहायक कलक्टर
(एच.डी.ओ.) नागौर